आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास

(Economic Growth & Economic Development)

पिछले कक्षा में हमने आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास जैसे शब्दों को बार-बार देखा है। दोनों शब्दों संवृद्धि एवं विकास का अर्थ एक जैसा ही है। सत्तर के दशक के पूर्व आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास को अर्थशास्त्र मे सामन्यतया समान अर्थ में प्रयोग मे लाया जाता था। परंतु अब इन दोनों संकल्पनाओं में अंतर किया जाता है।

'आर्थिक संवृद्धि' से हमारा अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में इससे पहले के काल की तुलना में मात्रा की दृष्टि से अधिक उत्पादन हो रहा है या नहीं। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है।

आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है।

'आर्थिक विकास' की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप कोई देश एक लम्बी समयावधि में अपनी-अपनी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं में कमी हो रही हो। बशर्ते कि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि न हो और आय का वितरण और अधिक असमान न हो जाय। आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा गया।

आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है।

जहाँ आर्थिक संवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है।

'आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता **(Quality of Life)** में सुधार हो।

ऐसा माना जाता है कि प्रतिव्यक्ति आय सूचकांक जीवन की गुणवत्ता को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करता है अतः आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किये जाते हैं, जैसे-आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवायें, प्रति व्यक्ति उपयोग वस्तुएँ आदि।

आर्थिक संवृद्धि = केवल परिमाणात्मक परिवर्तन
(राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन)

आर्थिक विकास = परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन।
(राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है।)

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को 'गरीबी के विरुद्ध लड़ाई' के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो।

आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गन्दगी, बेरोजगारी, असमानता आदि को प्रगतिशील रूप से कम करना तथा अन्तिम रूप से समाप्त करना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास बहुत अधिक व्यापक अवधारणा है जो अपने में आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रक विकास तथा समावेशी विकास (Inclusive Growth) को सम्मिलित किये हुये है।

अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के बिना आर्थिक संवृद्धि तो संभव है परन्तु आर्थिक संवृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है।

बजट (BUDGET)

परिचय :

सरकारी बजट सरकार के अनुमानित आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण होता है। बजट का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकार अपने लोगों के हित में अपनी नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहती है। इसके लिए उसे व्यय (Expenditure) करना पड़ता है और इस व्यय को पूरा करने के लिए उसे कई प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार बजट सरकार की विभिन्न नीतियों को लागू करने का एक साधन है जब सरकार बजट के अनुसार व्यय करती है तो उससे अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार व्यय को पूरा करने के लिए जब सरकार कर तथा अन्य स्त्रोतों से आय प्राप्त करती है, तो इससे भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अतः बजट की भूमिका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होती हैं।

बजट की परिभाषा

बजट फ्रांसीसी शब्द 'बुजेट' (Bougette) से बना है जिसका अर्थ 'चमड़े का छोटा थैला' होता है। आज इस शब्द का प्रयोग विश्व के सभी देशों में होता है। इसका मतलब संसद के सामने उसकी स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा रखे गये उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक दिये समय के लिए प्रस्तावित व्यय तथा उसे पूरा करने के साधन (आय) का अनुमान होता है।

प्रो0 शिराज के अनुसार, "बजट आय और व्यय का सार्वजनिक विवरण है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है।"

रैने स्टौर्न के अनुसार, "बजट एक ऐसा प्रलेख है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की एक स्वीकृत योजना होती है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि बजट में एक निश्चित अवधि के लिए आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में बजट

भारत में फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक आम बजट संसद में प्रस्तुत करते हैं। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, नीति-निर्माता, वित्तीय मामलों के जानकार, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी आदि उस दिन दूरदर्शन (टेलीविजन) के सामने यह जानने के लिए बैठ जाते हैं, कि (i) पिछले वर्ष में सरकार का वित्तीय निष्पादन (Financial Performance) कैसा रहा है और (ii) आगामी वर्ष के लिए सरकार की क्या नीतियाँ तथा क्या कार्यक्रम है।

बजट सरकार की अनुमानित (expected) आय तथा अनुमानित व्यय का ऐसा ब्योरा है जो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। परंतु बजट के इस भाग पर, जिसमें पिछली घटनाओं का वर्णन मात्र होता है, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर बजट के उस भाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (आय) तथा व्यय का वर्णन होता है।

सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार के आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है।

राज्य सरकार का बजट

संविधान के अनुच्छेद-202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है। इसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवर्ष राज्य सरकार को बजट रखना आवश्यक है।

केंद्रीय सरकार का बजट

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-112 के अनुसार केन्द्रीय सरकार समस्त देश का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है इसे केंद्रीय सरकार का बजट कहा जाता है। भारत सरकार को प्रतिवर्ष लोकसभा तथा राज्य सभा (संसद के दो सदन) के समक्ष बजट रखना आवश्यक है।

बजट के अवयव अथवा बजट की संरचना / सरकार के आय एवं व्यय :

आइये अब हमलोग बजट की संरचना या बजट के अवयव को जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि बजट में सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है। इसलिए बजट की संरचना सरकार के आय और व्यय से बनती है।

बजट के दो विस्तृत घटक हैं :

1. बजट प्राप्तियाँ (Budget Receipts)
2. बजट व्यय (Budget Expenditure)

1. **बजट प्राप्तियाँ :** बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है, जिसे हम सार्वजनिक आय भी कहते हैं।

बजट प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है।

(क) राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)

(ख) पूंजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts)

(क) राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts) : इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है।

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत करों (Taxes) तथा गैर-करों से प्राप्त आय को दिखलाया जाता है।

इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों को कर-राजस्व प्राप्तियाँ तथा गैर-कर (करेतर) राजस्व प्राप्तियों में बांटा जा सकता है।

कर-राजस्व प्राप्तियाँ या कर प्राप्तियाँ (Tax Receipts) :

इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित करों से प्राप्त आय को दिखलाया जाता है :

(i) आयकर (Income Tax)

(ii) निगम-कर (Corporation Tax) (कम्पनियों की आय पर कर)

(iii) आयात-निर्यात कर अथवा तटकर (Custom Duty)

(iv) उत्पाद कर (Excise Duty)

(v) सम्पत्ति कर (Wealth Tax)

(vi) सेवा कर (Service Tax)

(vii) अन्य कर आदि

कर (TAX)

कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, गृहस्थ या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। कर सरकार को किये जाने वाला एक पक्षीय एवं अनिवार्य भुगतान है।

उपरोक्त करों में से आयकर, निगम-कर, तथा संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह उसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों का भार दूसरों पर टाला (Shift) नहीं जा सकता है।

दूसरी ओर आयात-निर्यात कर एवं उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाये तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इसका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ

यह वे प्राप्तियाँ हैं जो करों को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होती है। कुछ गैर-कार राजस्व प्राप्तियाँ निम्नलिखित हैं -

(i) शुल्क-जैसे-भूमि का निबंधन शुल्क, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस आदि

(ii) जुर्माना

(iii) सरकारी उद्यमों से आय : जैसे-रेलवे, इंडियन ऑयल, भिलाई का इस्पात कारखाना आदि के लाभ सरकार के लिए आय का स्त्रोत है।

(iv) ब्याज प्राप्तियाँ

(v) केन्द्र-शासित प्रदेशों की गैर-कर प्राप्तियाँ

(vi) अनुदान / दान आदि,

(ख)पूंजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) : पूंजीगत प्राप्तियाँ वे मौद्रिक प्राप्तियाँ हैं जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्तियाँ कम होती हैं।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदें आती हैं :

(i) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण

(ii) ऋणों तथा उधारों की वसूली

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

(iv) लघु बचतें

(v) सार्वजनिक भविष्य निधि

(vi) विशेष जमा

(vii)अन्य मद।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार को कई तरह की प्राप्तियाँ या आय विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होता है।

बजट-व्यय (Budget Expenditure)

सरकार के व्यय को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :

1. राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय
2. योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय या योजनेत्तर व्यय
3. विकास व्यय एवं गैर-विकास व्यय या विकासेत्तर व्यय

1. राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय :

राजस्व व्यय : राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है।

इसके महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं :

(i) ब्याज का भुगतान

(ii) आर्थिक सहायता पर व्यय

(iii) प्रतिरक्षा पर व्यय

यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि परंपरा के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों (तथा केन्द्रशासित प्रदेशों) को दिये जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय माना जाता है, यद्यपि कुछ अनुदानों के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

पूंजीगत व्यय : पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है।

पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं :

(i) भूमि और भवनों पर व्यय

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य निगमों को दिये जाने वाले ऋण।

(iii) मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय

(iv) शेयरों का क्रय आदि।

2. योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय (Plan and Non Plan Expenditure) :

योजना व्यय : योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण है - कृषि, ऊर्जा, संचार, उद्योग, यातायात, सार्वजनिक सेवायें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय।

गैर-योजना व्यय : गैर-योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया जाता है। जैसे- सुखा, बाढ़ एवं भूकम्प पीड़ितों को अनाज अथवा गृह निर्माण के लिए दी गई राहत आदि।

3. विकास व्यय तथा गैर-विकास व्यय (Development and Non Development Expenditure) :

विकास व्यय : विकास व्यय वह व्यय है जो सरकार द्वारा संचालित विकास क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, यातायात, ग्रामीण विकास, जल बिजली, सड़कों, नहरों आदि के विकास पर खर्च की जाने वाली धन राशि को शामिल किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा उद्यमों को विकास के लिए दिये जाने वाले ऋण भी सम्मिलित होते हैं जैसे एयर-इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को दिये गये ऋण।

गैर-विकास व्यय : यह वह व्यय है जो सरकार के विकासेत्तर क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून तथा व्यवस्था, करों के एकत्रीकरण, ऋणों पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन आदि पर किये गये व्यय को शामिल किया जाता है।

विकास व्यय देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि लाता है (जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है) जबकि गैर-विकास व्यय ऐसा नहीं करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के आय (प्राप्तियों) तथा व्यय के कई स्त्रोत है। जब सरकार का बजट व्यय सरकार के बजट प्राप्तियों से अधिक होता है तो वह बजट घाटे की स्थिति होती है। यह सरकार के कुल व्यय की कुल प्राप्तियों पर अधिकता है।

संतुलित बजट : प्राप्तियाँ = व्यय

घाटे का बजट : प्राप्तियाँ < व्यय

बचत का बजट : प्राप्तियाँ > व्यय

आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका :

- अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका मुख्यतः राज्य द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों पर निर्भर करती है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश में प्रमुख आर्थिक निर्णय कौन लेता है- सरकार अथवा निजी व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता। किसी देश के आर्थिक विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्याणकारी राज्य का विकास, समाजवाद का उदय, महान आर्थिक मंदी तथा नव स्वतंत्र देशों के उदय ने राज्य की भूमिका को और बढ़ा दिया है।

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। सौभाग्य से हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्य हमारे लिखित संविधान में ही शामिल कर लिये गये हैं। ये राज्य को अर्थव्यवस्था के कार्य के संबंध में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। ये दिशा निर्देशन भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के उत्तरदायित्व की सीमा को निर्धारित करते हैं। भारत के आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है - -

1. आर्थिक असमानता को दूर करना

राज्य के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समान रूप से विकास हो, लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए राज्य सुविधाओं एवं संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना या अन्य कई उपाय जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए अनुदान या विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था करता है जिससे सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके। बिहार पिछड़ा राज्य होने के कारण विशेष राज्य का दर्जा की मांग केन्द्र सरकार से कर रहा है ताकि यह भी देश के आर्थिक विकास में अधिकाधिक योगदान दे सके एवं आर्थिक विकास के मामले में देश की मुख्य धारा से जुड़ सके।

2. राज्य नीतियों के माध्यम से

राज्य समय-समय पर अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करती है तथा नीति में इस बात का ध्यान रखती है कि यदि कोई क्षेत्र आर्थिक विकास के दौड़ में पिछड़ रहा है तो उसके लिए अपनी नीतियों के माध्यम से उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। राज्य समय-समय पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों की घोषणा करती है। इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति, व्यापार नीति आदि शामिल है। भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की है जिसका आधार उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण है। इसे LPG नीति भी कहा जाता है।

3. कृषि के विकास में योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 15% है। राज्य द्वारा कृषि के उत्थान के लिए ऋण, सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, बीज वितरण एवं अन्य कई सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

4. सार्वजनिक नियंत्रण

कम से कम उत्पादन एवं वितरण के दो क्षेत्रों में तो सरकार भी भौतिक हस्तक्षेप के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करती है।

(i) उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का प्रथम क्षेत्र औद्योगिक लाइसेंस रहा है। नई औद्योगिक नीति-1991 में उद्योगों के लिए लाइसेंस को काफी सीमित कर दिया गया है।

पुरानी व्यवस्था में लाइसेंसिंग नियमों को निम्न उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था।

(a) उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय विकास

(b) नए उद्योगों का संरक्षण

(c) लघु पैमाने उद्योगों के लिए कुछ क्षेत्रों को रिजर्व करना आदि।

(ii) सार्वजनिक वितरण एवं राशनिंग :

हमने देखा है कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के सवालों का हमेशा ही सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हल प्रस्तुत नहीं कर पाती है। हमारी अर्थव्यवस्था में इस अपर्याप्तता का एक जीता-जागता उदाहरण भोजन, ईंधन और कपड़े जैसी अनिवार्य वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के मामले में मिल सकता है।

- सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशनिंग के माध्यम से इस समस्या को हल करने का प्रयास करती है एवं आर्थिक विकास में भूमिका निभाती है।

5. राजकोषीय नीति

राज्य अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजकोषीय नीति के उपकरण के रूप में करों का महत्व आसानी से दिखाई पड़ता है। एक विकासशील देश में आवश्यक नहीं कि कराधान का उद्देश्य केवल आय की असमानताओं को कम करना ही हो। एक विकासशील अर्थ व्यवस्था में कराधान का एक मुख्य उद्देश्य विकास की दृष्टि से आवश्यक निवेशों के लिए साधन जुटाना भी है। यदि ठीक से समन्वय किया जाय तो प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों का समुच्चय इस काम के लिए राज्य के हाथों में एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आय उगाहने के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में उचित प्रकार के उद्यमों की वित्त व्यवस्था के लिए बचत की काफी बड़ी मात्राओं को उपलब्ध कराता है। इससे भी अधिक यह संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाओं जैसी उन सामाजिक व आर्थिक अधिसंरचनाओं को भी सहायता प्रदान कर सकता है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से सार्वजनिक निवेशों पर ही निर्भर करती है।

मौद्रिक नीति

सरकार अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा भी राज्य की आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मौद्रिक नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथों में है। यह बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है केन्द्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण जैसे-बैंक दर, खुले बाजार की क्रियायें, नकद आरक्षित अनुपात आदि के द्वारा अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति/साख के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण जैसे-सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि के द्वारा साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के विशेष क्षेत्र की ओर मोड़ते या सीमित करते हैं।

आर्थिक उदारीकरण के बाद से राज्य की भूमिका में बदलाव आने लगा है, कई ऐसे कार्य जो पहले राज्य के नियंत्रण में था वह बाजार को सौंपा जा रहा है, जिसकी आलोचना भी हो रही है। राज्य अब कल्याणकारी स्वरूप में बदलाव ला रहा है क्योंकि बढ़ते वित्तीय बोझ एवं राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए राज्य को बाजार की ओर गतिमान होना अपरिहार्य हो गया है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

लोक/सार्वजनिक उपक्रम, निजी उपक्रम एवं संयुक्त उपक्रम

आप अपने दैनिक जीवन में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को देखते हैं। आपके घर के अगल-बगल में एकल स्वामित्व की कई प्रकार की दुकानें हैं। बड़े खुदरा व्यापार संगठन हैं जिनका संचालन कोई कंपनी करती है। जैसे-बिग-बाजार, रिलायन्स फ्रेश आदि। इसके साथ ही आपको कानूनी सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करने वाली इकाइयाँ हैं जिनके स्वामी एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं। ये सभी निजी स्वामित्व के संगठन है। इसी प्रकार से अन्य कार्यालय अथवा व्यवसाय हैं जिस पर सरकार का स्वामित्व है। उदाहरण स्वरूप - रेलवे एक ऐसा संगठन है जिसका स्वामित्व एवं प्रबन्धन पूर्णतया सरकार करती है आपके घर के आस-पास का डाकघर केन्द्र सरकार के डाक एवं तार विभाग के स्वामित्व में है। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक इकाइयाँ एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इन्हें भूमंडलीय/वैश्विक उद्यम कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि देश में सभी प्रकार के संगठन व्यवसाय कर रहे हैं चाहे वे सार्वजनिक, निजी, वैश्विक या संयुक्त उपक्रम हों। ये संगठन हमारे रोजमर्रा के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं इसलिए ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंग है।

सार्वजनिक उपक्रम :

सार्वजनिक उद्यम/उपक्रम वैसे उपक्रम होते हैं जो सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं और जिनका स्वामित्व व प्रबन्ध सरकार के हाथ में होता है। ऐसे उपक्रम सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। इन उपक्रमों में सरकार या तो स्वयं उनकी एकमात्र स्वामी होती है अथवा इनका अधिकतर स्वामित्व सरकार के पास होता है, चूंकि इन उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित या सेवा अर्थात जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करना होता है लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य को अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम सार्वजनिक हित में काम करते हुये लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट होना जरूरी है कि सभी सरकारी संस्थाएँ सार्वजनिक या सरकारी उपक्रमों में सम्मिलित नहीं होती। केवल उन सरकारी संस्थाओं को ही सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जो आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाएँ करती हैं। इस तरह सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज आदि सार्वजनिक उपक्रम नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रम को राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग आदि नामों से पुकारा जाता है।

सार्वजनिक उपक्रमों के सबसे सरल एवं स्पष्ट उदाहरण है राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनकी शाखाएँ हमारे गाँवों एवं शहरों में स्थापित किये गये हैं। यदि हम किसी बैंक की शाखा के बाहर लगे साईन बोर्ड को ध्यान से देखें तो उस पर बैंक के नाम के निचे 'भारत सरकार का उपक्रम' भी लिखा होगा।

यह इस बात का द्योतक है कि यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम के कुछ अन्य उदाहरण हैं - SAIL (Steel Authority of India Limited, GAIL (Gas Authority of India Limited), BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited), यूको बैंक (UCO Bank), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) आदि।

सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएँ :

उपरोक्त विवेचना के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं :

1. सरकारी स्वामित्व

सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के पास या इनके पास संयुक्त रूप से होता है। सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास कुल अंशपूंजी का कम से कम **51 प्रतिशत** भाग होना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि राजकीय का अर्थ राज्य से नहीं बल्कि सरकार से है जिसमें सभी सरकारें सम्मिलित होती हैं।

2. राजकीय नियंत्रण

सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबन्ध एवं नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है।

3. सेवा उद्देश्य

सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित या समाज सेवा करना अर्थात जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है। जबकि निजी उपक्रमों की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है।

4. जनता के प्रति उत्तरदेयता

राजकीय उपक्रम न केवल सरकार के प्रति, बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है। जनता के चुने हुये प्रतिनिधि इन उपक्रमों की सफलता एवं असफलता के बारे मे संसद एवं विधान मंडल में टीका-टिप्पणी करते हैं।

5. प्रबन्ध मे नौकरशाही

चूंकि सार्वजनिक उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं इसलिए इनका प्रबन्धन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों एवं उपनियमों को ध्यान मे रखते हुये किया जाता है।

6. सभी वर्गों के लिए उपयोगी

सार्वजनिक उपक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। जैसे-सार्वजनिक क्षेत्र का डाक एवं तार विभाग समाज के सभी लोगों की एक समान सेवा करता है।

7. कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार

सार्वजनिक उपक्रमों का कुछ क्षेत्र में एकाधिकार है। जैसे-रेलवे, परमाणु ऊर्जा आदि की सेवाएँ। समाज सेवा के लिए ऐसा जरूरी भी है क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक लाभ न होने के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमी इनमें कोई रुचि नहीं रखते हैं।

8. वित्तीय स्वतंत्रता

सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग सभी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी की जाती रही है। परन्तु आजकल उदार आर्थिक नीतियों के कारण सरकारी उपक्रमों को अपनी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए जनता से वित्त प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। जो इन उपक्रमों की वित्तीय स्वतंत्रता का संकेत है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप

देश के व्यावसायिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी के लिए किसी प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। एक सार्वजनिक उपक्रम, व्यावसायिक संगठन के किसी भी स्वरूप को अपना सकता है लेकिन यह उसके कार्यों की प्रकृति एवं सरकार से इसके संबंधों पर निर्भर करता है। व्यावसायिक संगठन का कौन-सा स्वरूप इसके लिए उपयुक्त रहेगा यह इसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित हैं :

1. विभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)
2. वैधानिक / सार्वजनिक निगम (Public Corporation)
3. सरकारी कंपनी (Govt. Companies)

1. विभागीय उपक्रम

यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सबसे पुराना एवं परंपरागत स्वरूप है। विभागीय उपक्रम की स्थापना किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की जाती है। यह मंत्रालय का ही एक भाग या फिर उसका विस्तार माना जाता है। इनका प्रबन्ध उपक्रम से संबधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ये सरकार की गतिविधियों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनका गठन स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था के रूप नहीं किया जाता एवं इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। ये उपक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन हो सकते हैं तथा इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के नियम लागू होते हैं। ये उपक्रम संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हैं तथा इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार के उपक्रम की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है। इन उपक्रमों के उदाहरण है डाक एवं तार विभाग, भारतीय रेल आदि।

2. वैधानिक / सार्वजनिक निगम

वैधानिक निगम वे सार्वजनिक उद्यम हैं जिसकी स्थापना संसद / विधान मंडल के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। यह अधिनियम इस प्रकार के उद्यमों के अधिकार एवं कार्य, इनके कर्मचारियों से संबधित नियम एवं कानून तथा अन्य सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के साथ इनके संबंधों को स्पष्ट करता है।

यह पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में होती है। साधारणतः अपनी वित्त की आवश्यकता को यह स्वयं पूरा करती है। यह सरकार से ऋण लेकर अथवा जनता से वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री द्वारा आय अर्जित कर धन जुटाती है। इसके लाभ का विनियोजन सरकार करती है तथा यदि कोई हानि होती है तो उसे भी सरकार वहन करती है।

इस प्रकार वैधानिक निगमों के पास जहाँ एक ओर सरकारी अधिकार होता हैं वही दूसरी ओर निजी उद्यम के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन भी होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है - भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), भारतीय खाद्य निगम (FCI), केन्द्रीय भण्डार निगम, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आदि।

3. **सरकारी कंपनी**

सरकारी कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंशपूँजी (Paid up share capital) या तो केन्द्र सरकार के पास है, या कि राज्य सरकारों के पास है या फिर कुछ केन्द्र सरकार के पास और शेष एक या एक अधिक राज्य सरकारों के पास है।

सरकार का ऐसी कंपनी की चुकता अंश पूँजी पर नियंत्रण होता है। इन कंपनियों में सरकार ही बड़ा अंशधारक है तथा प्रबंध पर उसी का नियंत्रण है इसलिए इसे सरकारी कंपनी कहा जाता है।

सरकारी कंपनी की स्थापना विशुद्ध रूप से व्यवसाय करने के लिए किया जाता है। ये कंपनियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। भारत में सरकारी कंपनियों के उदाहरण है : कोल इण्डिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि।

निजी उपक्रम : निजी उपक्रमों की स्थापना निजी स्वामित्व (Private Ownership) के रूप में होती है। निजी उपक्रमों का अभिप्राय यह है कि इन पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस तरह के उपक्रमों का संचालन निजी लाभ की प्रेरणा से किया जाता है। निजी उपक्रम के उदाहरण है : टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, सेंचुरी, ग्रासिम इंडस्ट्री आदि।

निजी उपक्रमों की विशेषताएँ

1. **निजी स्वामित्व :** इस प्रकार के उपक्रमों पर पूर्णतः निजी लोगों का स्वामित्व होता है और किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नही होता है।

2. **निजी लाभ का उद्देश्य :** इस प्रकार के उपक्रमों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। परंतु वर्तमान में इसके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व को समझा जाने लगा है।

3. **निजी प्रबन्ध :** इस प्रकार के उपक्रमों का प्रबन्ध व्यवसाय के स्वामियों द्वारा किया जाता है। कम्पनी की दशा में, अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल उपक्रम की देख-रेख करता है।

4. **कम राजनैतिक हस्तक्षेप :** इस प्रकार के उपक्रमों में राजनैतिक हस्तक्षेप प्रायः कम होती है।

संयुक्त उपक्रम

व्यापक अर्थो में संयुक्त उपक्रम का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने संसाधनों एवं विशेषज्ञता को एक साथ मिला लेना।

संयुक्त उपक्रम में दो या दो से अधिक कंपनियाँ (निजी, सरकारी या विदेशी कंपनी) एक नई इकाई (उपक्रम) का गठन करते है जिसमें उन सभी का नियंत्रण होता है। इसके लिए ये कंपनियाँ पूंजी, तकनीकी, मानव संसाधन, जोखिम एवं प्रतिफल में हिस्सा बांटने के लिए सहमत होते

इस प्रकार जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ (कंपनियाँ) समान उद्देश्य एवं पारस्परिक लाभ के लिए इकट्ठा होना तय करती है तो इससे संयुक्त उपक्रम का उदय होता है। संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय का विस्तार, नये उत्पादों का विकास या नये बाजारों मुख्यतः अन्य देशों के बाजारों में व्यवसाय करना होता है। भारत में संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। इनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। संयुक्त उपक्रमों को भारत में घरेलू आंतरिक कंपनी के समकक्ष रखा जाता है। परंतु भारत में यदि किसी संयुक्त उपक्रम में कोई विदेशी अथवा अप्रवासी भारतीय भागीदार है तो उसे सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। भारत में संयुक्त उपक्रम के उदाहरण है - भारती एयरटेल, मारुती सुजुकी आदि।

निवेश (Investment) : निवेश के अर्थ को समझने से पहले हमें पूंजी के अर्थ को समझना होगा।

पूंजी (Capital)

हम जानते हैं कि पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं के स्टॉक से है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं हो जाती है उत्पादन की प्रक्रिया में इनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ है। जैसे-मशीन, प्लांट, भवन आदि।

निवेश (Investment)

उत्पादकों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उनके पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती रहे, जिससे उनकी उत्पादन करने की क्षमता में समय के साथ-साथ वृद्धि जारी रहे।

एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है।

अत: I = ΔK (यहाँ I = निवेश, K = पूँजी का स्टॉक, ΔK = वर्ष के दौरान पूँजी स्टॉक में परिवर्तन)

पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी-निर्माण भी कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण एवं निवेश शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

अत: निवेश, पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है।

विनिवेश (Disinvestment)

संपत्ति का सृजन, पूंजी स्टॉक में वृद्धि या किसी उद्यम में सरकारी धारिता (Holding) में वृद्धि निवेश कहलाता है जबकि सम्पति का बेचना, पूंजी स्टॉक में कमी या किसी उद्यम में धारिता में कमी को विनिवेश कहते हैं।

सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता (स्वामित्व धारिता) में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश सार्वजनिक उद्यम को निजीकरण की ओर ले जायेगा। इस प्रकार विनिवेश निजीकरण का माध्यम है।

भारत में अस्सी के दशक से ही सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम लगातार घाटे में चल रहे थे। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन घाटों की पूर्ति करदाताओं द्वारा दी गई रकम से पूरी नहीं की जायेगी, क्योंकि इससे करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा। इसलिए सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत विनिवेश की नीति को अपनाया। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया 1991-92 में प्रारंभ की गई जब डॉ0 मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) (F.D.I.)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय विदेशी कंपनियों द्वारा एक देशी कंपनी में भौतिक पूंजी संपत्तियों; प्लान्ट मशीनरी, भूमि, भवन आदि में निवेश से है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनी घरेलू देश में नयी कंपनी विकसित करती है या अपनी सहायक कंपनी को खोलती है जिसमें दोनों-नियंत्रण तथा प्रबन्ध बना रहता है। यह व्यवसाय के स्वामित्व और नियंत्रण को सूचित करता है। इसमें निवेश किये गये पूंजी के प्रयोग पर निवेशक का नियंत्रण बना रहता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू देश में भौतिक पूंजी निर्माण होगा जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होंगे। यह अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी भी लाती है। यह केवल पूंजीगत और तकनीकी जानकारी ही नहीं लाता है बल्कि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा तथा कुशलता को भी बढ़ाता है। अधिकांशतः इस प्रकार के निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किये जाते हैं।

भारत में LPG नीतियों को अपनाने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ने का अधिक अवसर मिला। भारत में 2008-09 में लगभग 27 अरब डालर का एफ.डी.आई. में ईक्विटी का अंतर्प्रवाह हुआ। UNCTAD (United Nation Conference on trade and Development) की विश्व विकास रिपोर्ट-2011 में बताया गया है कि 2009 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह लगभग 36 अरब डालर था, जो घटकर 2010 में लगभग 25 अरब डालर ही रहा है। इसके अनुसार 2010 में FDI हासिल करने वाले देशों में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है।

अब तक भारत में किये गये कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश मॉरिशस देश के रास्ते हुआ है। दूसरे स्थान पर सं. रा. अमेरिका से हुआ है।

2011 में सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की है। सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अधिकतम सीमा को 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में हुआ है।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग या घ) लिखें -

1. आर्थिक संवृद्धि संबंधित है -

(क) गुणात्मक परिवर्तन से। (ख) परिमाणात्मक परिवर्तन से।

(ग) उपरोक्त दोनों से। (घ) इनमें से कोई नहीं।

2. आर्थिक विकास संबंधित है -

(क) परिमाणात्मक परिवर्तन से। (ख) गुणात्मक परिवर्तन से।

(ग) उपरोक्त दोनों से। (घ) इनमें से कोई नहीं।

3. भारत का वित्तीय वर्ष है -

(क) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर (ख) 1 अप्रैल से 31 मार्च

(ग) 15 फरवरी से 30 अक्टूबर (घ) इनमें से कोई नहीं।

4. प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है ?

(क) आयकर (ख) उत्पाद कर

(ग) बिक्री कर (घ) इनमें से कोई नहीं।

5. बजट के दो विस्तृत घटक है -

(क) बजट प्राप्तियाँ (ख) बजट व्यय

(ग) उपरोक्त दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं।

6. सार्वजनिक उपक्रम को नाम से भी जाना जाता है ?

(क) राजकीय उपक्रम (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

(ग) सरकारी उद्योग (घ) उपरोक्त सभी

7. भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रम के किस स्वरूप का उदाहरण है -

(क) विभागीय उपक्रम का (ख) वैधानिक/सार्वजनिक निगम का

(ग) सरकारी कंपनी का (घ) इनमें से कोई नहीं।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का अभिप्राय है -

(क) सरकार की स्वामित्व धारिता में कमी लाना।

(ख) सरकार की स्वामित्व धारिता में वृद्धि करना।

(ग) नये क्षेत्र में विनियोग करना।

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर : 1. ख, 2. ग, 3. ख, 4. क, 5. ग, 6 घ, 7. क, 8. क

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक .... है।
2. सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के .... एवं .... के अनुमानों का विवरण होता है।
3. निजी उपक्रमों का संचालन .... की प्रेरणा से किया जाता है।
4. निवेश .... निर्माण की एक प्रक्रिया है।
5. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश .... में सबसे ज्यादा हुआ है।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम एक .... है।

उत्तर : 1. व्यापक, 2. व्यय, आय, 3. लाभ, 4. पूँजी, 5. सेवा क्षेत्र, 6. वैधानिक/सार्वजनिक निगम

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक विकास से आप क्या समझते है ?
2. राजस्व व्यय से आप क्या समझते हैं ? इसके दो महत्वपूर्ण मदों को बतायें।
3. पूंजीगत प्राप्तियाँ से आप क्या समझते हैं ? इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मदें क्या है ?
4. सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न स्वरूप कौन-कौन है ?
5. संयुक्त उपक्रम से आप क्या समझते हैं ?
6. निवेश से आप क्या समझते हैं ?
7. सरकारी कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है। सरकारी कंपनी के दो उदाहरण बतायें।
8. निम्नलिखित उपक्रम सार्वजनिक उपक्रमों के किस स्वरूप/प्रारुप से संबधित है।
   (क) डाक एवं तार विभाग
   (ख) भारतीय खाद्य निगम (FCI)
   (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड
9. विनिवेश से आप क्या समझते है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है ? स्पष्ट करें।
2. आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका की व्याख्या करें।
3. बजट से आप क्या समझते हैं ? सरकार के व्यय को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है ? व्याख्या करें।
4. निजी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त उपक्रम में अन्तर बतायें।
5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं ? व्याख्या करें।

परियोजना कार्य :

1. अध्यापक की सहायता से बिहार सरकार के उपक्रमों की एक सूची बनायें।

*****

पंचवर्षीय योजना (Five Year Planning)

आर्थिक नियोजन

आर्थिक नियोजन का अर्थ है, तय समय-सीमा के अंदर उपलब्ध सीमित संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाना कि राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का संतुलित आर्थिक विकास हो सकें। दूसरे शब्दों में, आर्थिक विकास के लिए देश में उपलब्ध करते हुए एक निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं।

आर्थिक नियोजन में चार प्रमुख बातें शामिल हैं -

- एक केन्द्रीय नियोजन सत्ता (भारतीय योजना आयोग)
- निश्चित समय अवधि
- निश्चित लक्ष्य
- साधनों की उपलब्धता

वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वह पूँजीवादी व्यवस्था का राष्ट्र हो या समाजवादी व्यवस्था का राष्ट्र या फिर स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था वाला राष्ट्र हो, विश्व में सभी जगह आर्थिक नियोजन को अपेक्षित महत्व दिया जा रहा है।

भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)

15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद भारत में कई मोर्चों पर समस्याएँ थी। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न विकास-दर, उद्योगों का अभाव आदि समस्याएँ चुनौति के रूप में खड़ी थीं। ऐसी परिस्थिति में 'पूर्व सोवियत संघ' का अनुसरण करते हुए 'योजना मॉडल' को विकास के लिए अपनाया गया जिसे भारत में आर्थिक नियोजन कहा जाता है। इनके पाँच वर्षीय कार्यकाल के कारण ये लोकप्रिय रूप से पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है।

भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- संवृद्धि
- आत्म निर्भरता
- आधुनिकीकरण तथा
- समानता

योजना आयोग (Planning Commission)

भारत में नियोजित विकास का प्रारंभ योजना आयोग के गठन के साथ ही प्रारंभ होता है।

योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। योजना आयोग भारत के नीति-निर्माताओं को संसाधनों के बँटवारे, उसके समुचित उपयोग के बारे में सलाह देने का काम करता है।

भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं जबकि उपाध्यक्ष उसके मुख्य कार्यकारी होते हैं। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। इसके निगमन एवं प्रशासन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुछ प्रमुख विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या और उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।

योजना आयोग द्वारा अभी तक बारह पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की गयी हैं। पहली योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई तथा वर्तमान में चल रही 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है - 2012 से 2017 तक।

योजना आयोग का वर्तमान गठन

अध्यक्ष - डॉ. मनमोहन सिंह (प्रधानमंत्री)

उपाध्यक्ष - मोंटेक सिंह अहलुवालिया

सदस्य -
1. बी. के. चतुर्वेदी
2. सौमित्र चौधरी
3. डॉ. साइदा हमीद
4. डॉ. नरेन्द्र यादव
5. प्रो. अभिजीत सेन
6. डॉ. मिहिर शाह
7. डॉ. के. कस्तुरी रंजन
8. डॉ. अरुण माइरा

योजना आयोग के कार्य

योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं

1. देश की भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाना।
2. संसाधनों के अधिक संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।
3. योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना।
4. उन सभी तत्वों को जो कि आर्थिक विकास में बाधक है, सरकार को इंगित करवाना एवं उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जो कि वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
5. 'योजना आयोग' को सौंपे गए कार्य से संबंधित आवश्यक सुझाव देना तथा समय-समय पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष समस्या पर मांगी गई राय पर सलाह देना।

उपरोक्त कार्यों को क्रियान्वयन करते हुए योजना आयोग द्वारा बनायी विभिन्न योजनाओं को देखेंगे-

भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना **1 अप्रैल 1951** से प्रारंभ होकर **31 मार्च 1956** तक चली। यह योजना द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति, देश विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि में तैयार हुई। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे।

1. द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश के विभाजन के फलस्वरूप हुई क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरूत्थान करना।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास करना ताकि भविष्य में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके।

प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रुपये हुआ जबकि निजी क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपये। योजना में राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष **2.1%** का लक्ष्य रखा गया जबकि प्रतिव्यक्ति आय में **0.9%** वृद्धि का लक्ष्य था।

प्रथम योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि एवं सामुदायिक विकास पर 290 करोड़ रुपये तथा सिंचाई एवं शक्ति पर 285 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो कुल व्यय का क्रमशः 14.9 प्रतिशत तथा 29.8 प्रतिशत भाग था।

इस प्रकार प्रथम योजना में कृषि सिंचाई शक्ति, औद्योगिक उत्पादन परिवहन आदि क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता मिली है।

अतः पंचवर्षीय योजना की प्रगति को काफी संतोषजनक कहा जा सकता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से लेकर मार्च 1961 तक थी। इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिककरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त 1956 में घोषित की गयी औद्योगिक नीति में समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

द्वितीय योजना के निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये

- राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि
- तीव्र औद्योगिक विकास जिसमें आधारभूत और भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया।
- रोजगार के अवसरों में तेजी से विस्तार।
- असमानता में कमी लाना तथा आर्थिक शक्ति का समान वितरण।

इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय 4600 करोड़ था। प्रतिव्यक्ति आय **3.3%** तथा राष्ट्रीय आय में **4.5%** वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि-दर **4%** का हासिल किया गया तथा प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि-दर **2%** वार्षिक-दर से हुई।

प्रथम तथा द्वितीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में परिव्यय का वितरण (करोड़ रुपये)

मद	प्रथम योजना		द्वितीय योजना	
	परिव्यय	प्रतिशत	परिव्यय	प्रतिशत
1. कृषि तथा सामुदायिक विकास	291	15	530	11
2. बृहद तथा मध्यम सिंचाई	310	16	420	09
3. शक्ति	260	13	445	10
4. ग्राम तथा लघु उद्योग	43	02	175	04
5. उद्योग एवं खनिज	74	04	900	20
6. परिवहन एवं संचार	523	27	1200	28
7. सामाजिक सेवाएँ एवं विविध	459	23	830	18
कुल	1960	100	4500	100

तालिका में स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में कृषि को कम महत्व दिया गया जबकि उद्योग एवं खनिज पर व्यय प्रथम योजना **(4%)** से बढ़ाकर **(20%)** रखा गया।

इस तरह हम पाते हैं कि द्वितीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास संतोषप्रद नहीं हुआ जबकि औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में प्रगति अच्छी हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

तृतीय योजना पहले के दो योजनाओं के अनुभव के आधार पर निर्मित की गयी थी तथा पूर्व के खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस योजना की अवधि है 1961-1966 है।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है -

- **5%** की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
- खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भरता लाना।
- इस्पात, रसायन, ऊर्जा एवं शक्ति जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीन-निर्माण की क्षमता स्थापित करना।
- तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय 7500 करोड़ रुपये प्रस्तावित था किंतु वास्तविक 8577 करोड़ रु. हुआ।

तृतीय योजना के काल में अनेक भीषण समस्याएँ सामने आयी थीं जिससे निपटना संभव नहीं था। जैसे सूखा, विदेशी आक्रमण (चीन, पाकिस्तान)। अतः कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा।

इस प्रकार तृतीय योजना में उपलब्धि लक्ष्य से कम थी साथ ही पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को छोड़ना पड़ा तथा परिस्थितियों से बाध्य होकर 1966-1969 के लिए तीन वार्षिक योजनाओं का सहारा लेना पड़ा।

वार्षिक योजनाएँ

तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 ई0 को समाप्त हुई लेकिन कुछ कारणों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी बल्कि इस अवधि में 1966-67, 1967-68, तथा 1968-69 के लिए **वार्षिक योजनाएँ (Annual Plan)** कार्यान्वित की गयी। तीनों वार्षिक योजनाओं पर कुल वास्तविक व्यय 6135 करोड़ रुपये का हुआ जबकि कुल मिलाकर 6535 करोड़ के व्यय करने का आयोजन था।

मद	परिव्यय	प्रतिशत
1. कृषि सामुदायिक विकास एवं सहकारिता	476	14.6
2. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	471	7.1
3. शक्ति	1213	18.3
4. संगठित उद्योग	1511	22.8
5. ग्राम एवं लघु उद्योग	126	1.9
6. परिवहन एवं संचार	1222	18.5
7. सामाजिक सेवाएँ	976	14.7
8. खाद्यान्नों के बफर स्टाक	140	2.1
कुल	6135	100

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

वार्षिक योजना की समाप्ति के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गयी जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे -

- अर्थव्यवस्था में 5.5% की वार्षिक दर से आर्थिक विकास।
- कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना। कृषि उत्पादन में 5% की वार्षिक दर से तथा औद्योगिक उत्पादन में 8% से 10% की वार्षिक दर से वृद्धि करना।
- खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमत में स्थायित्व लाना।
- 7% वार्षिक दर से निर्यात में वृद्धि करना।

इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक परिव्यय 15092 करोड़ रुपये के हुए लेकिन इस अवधि में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका यह योजना असफल योजना थी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1974 - 31 मार्च 1979)

पाँचवीं योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन के साथ विकास को केन्द्र बनाया गया। इस योजना की शुरूआत 1 अप्रैल 1974 हुआ लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे 1979 के एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया।

इस योजना के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे -

1. गरीबी उन्मूलन
2. आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति

पाँचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 39,300 करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था लेकिन बाद में योजना के अंतिम वर्ष में बढ़ाकर 39426 करोड़ रुपये कर दिया गया।

1974-75 से 1978-79 के दौरान योजना के वास्तविक सार्वजनिक परिव्यय का क्षेत्रानुसार वितरण

मद	परिव्यय	प्रतिशत
1. कृषि तथा संबंधित क्षेत्र	4865	12.3
2. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3877	9.8
3. संचालन शक्ति	7400	18.8
4. संगठित उद्योग	9581	24.3
5. परिवहन एवं संचार	6870	17.4
6. सामाजिक तथा समुदायकि सेवाएँ	6833	17.4
कुल	**39426**	**100**

इस योजना में पहली बार विकास-दर 3.5% से ज्यादा हुआ यानि 5.2% प्राप्त की गयी। प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग 2.9% की वृद्धि दर्ज की गयी। कृषि उत्पादन 4.5% की दर से वृद्धि । औद्योगिक उत्पादन 6% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा यानि पाँचवीं योजना में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त किये गए लेकिन विदेशी व्यापार के स्तर पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं रही।

छठी पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1980 - 31 मार्च 1985)

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को चार वर्षों में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ कर दी गई। इस योजना को **अनवरत योजना (Rolling Plan)** का नाम दिया गया। 1980 में सरकार परिवर्तित होने पर पाँचवीं योजना समाप्त कर छठी योजना (1980-85) प्रारंभ की गयी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे।

- आर्थिक विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि। संसाधनों के प्रयोग के क्षेत्र में कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादकता को बढ़ाना।
- आर्थिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।

गरीबी, बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकास दर का लक्ष्य **5.2%** वार्षिक, प्रति व्यक्ति आय **3.3%** की वार्षिक वृद्धि, कृषि में **3.8%** का विकास लक्ष्य खनिज तथा विनिर्माण में **6-9%** का विकास-दर तथा सेवा क्षेत्र में **5.5%** वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया।

इस योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 97500 करोड़ रुपये रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय 109292 करोड़ रुपये हुआ। इस योजना में भी गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया साथ ही कृषि और सिंचाई कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया जिससे बाद में कई स्तर पर सफलता भी मिली।

इस प्रकार छठीं योजना एक सफल योजना कही जा सकती है लेकिन गरीबी तथा बेकारी की समस्याओं के सामाधान में हम असफल रहे थे।

सातवीं योजना (1985-90)

छठी योजना की समाप्ति के बाद 1985-90 की अवधि के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना, शोषण को दूर करना, समाज के कमजोर वर्गों का समाज कल्याण तथा सामाजिक उपभोग के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि करना थां इसके लिए योजना के मुख्यतः तीन उद्देश्य रखे गये थे -

- खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि करना
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना
- उत्पादकता में वृद्धि करना

इस योजना में कुल परिव्यय 3,48,148 करोड़ रूपये रखा गया था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय था - 1,80,000 करोड़ रूपये तथा निजी क्षेत्र का 1,68,148 रूपये।

योजना में विकास दर **5%** वार्षिक का लक्ष्य रखा गया था। कृषि उत्पादन मे **4%** वार्षिक तथा औद्योगिक उत्पादन में **8%** वार्षिक विकास का लक्ष्य रखा गया।

इस योजना की मुख्य विशेषताओं को हम बिंदुवार देखेंगे -

- उत्पादक रोजगार का सृजन
- कृषि व उद्योग उत्पादन में वृद्धि
- गरीबी निवारण
- आवास, सफाई, पोषाहार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करना
- ऊर्जा संरक्षण और गैर परम्परागत साधनों का विकास

जहाँ तक उपलब्धि की बात है तो उत्पादन एवं लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से यह योजना एक सफल योजना थी क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति में काफी सफलता मिली लेकिन सामाजिक समस्याओं (गरीबी, बेरोजगारी) का समाधान नहीं हो सका।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

आठवीं योजना 1990-95 के लिए शुरू की गई लेकिन सरकार परिवर्तित होने के बाद 1990-91 एवं 1991-92 को वार्षिक योजना में बदल दिया गया तथा नए तरीके से अप्रैल 1992 में आठवीं योजना को प्रारंभ किया गया।

इस योजना में कृषि, ग्रामीण विकास तथा रोजगार सृजन पर अधिक बल दिया गया। **5.6%** वार्षिक विकास-दर का लक्ष्य रखा गया। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कुल परिव्यय का **50%** निर्धारित किया गया।

इस योजना को देश में 1991 में लागू की गई नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के अनुरूप निर्मित किया गया।

आठवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे -

- पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- शिक्षा विशेषतः प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना। साथ ही 15-35 वर्ष की आयु के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना।
- कृषि का विकास एवं विविधिकरण तथा खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।
- आधारित संरचना, जैसे-ऊर्जा, यातायात, संचार, सिंचाई को सुदृढ़ बनाना।

आठवीं योजना 1991-92 के मूल्य पर सार्वजनिक क्षेत्र में 434100 करोड़ रुपये खर्च करने का आयोजन था जबकि निजी क्षेत्र में 437000 करोड़ रुपये खर्च प्रावधान रखा गया था। योजना में कृषि, ग्रामीण विकास एवं उससे संबंधित कार्यक्रमों पर कुल व्यय का **22%** शक्ति पर **26.6%** उद्योग एवं खनिज पर लगभग **11%** परिवहन एवं संचार पर **18.7%** समाजिक सेवाओं पर **18.2%** व्यय का प्रावधान था।

छठी, सातवीं एवं आठवीं योजना में क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)

मद	छठी योजना	सातवीं योजना	आठवीं योजना
1. कृषि	15.24	11.23	18.65
2. खनन	71.97	6.70	4.96
3. विनिर्गाण	23.60	26.00	23.21
4. विद्युत, गैस एवं जल	12.7	13.65	12.80
5. निर्माण	2.73	1.86	2.57
6. परिवहन	9.42	9.93	11.02
7. संचार	1.50	2.03	3.26
8. सेवाएँ	29.38	28.60	23.13
कुल	100.00	100.00	100.00

आठवीं योजना में अन्य योजनाओं की तरह सफलता का मिश्रित परिदृश्य रहा। कुछ मायने में यह योजना सफल रही तो कुछ सामाजिक समस्याओं के समाधान में असफल रही विकास दर 6.8% वार्षिक दर्ज किया गया जो लक्ष्य से अधिक रहा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

देश की नौवीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1997 में प्रारंभ की गयी जो 2002 तक चली। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादक रोजगार का सृजन क्षेत्रिय संतुलन तथा आत्म निर्भरता जैसी बातों पर बल दिया गया। समता के साथ विकास की प्राप्ति को प्रधान उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था।

नौवीं योजना के निम्न उद्देश्य रखे गये थे -

- उत्पादक रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता प्रदान करना।
- मूल्य स्थायित्व के साथ अर्थ व्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को तीव्र करना।
- सभी वर्गों विशेषतः कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न एवं पौष्टिकता को सुनिश्चित करना।
- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना।
- आत्म निर्भरता स्थापित करने से संबंधित प्रयासों को मजबूत करना।

इस योजना में आर्थिक विकास दर 6.5% प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसकी प्राप्ति के लिए निवेश लक्ष्य को नीचे देख सकते है -

सार्वजनिक क्षेत्र में	-	726 हजार करोड़ रुपये
निजी निगमित क्षेत्र में	-	699 हजार करोड़ रुपये
परिवार क्षेत्र में	-	746 हजार करोड़ रुपये
कुल जोड़	-	**2171 हजार करोड़ रुपये**

इस योजना में विकास दर के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये :-

G.D.P. विकास दर - 6.5% वार्षिक

कृषि उत्पादन में विकास दर - 4.5% वार्षिक

औद्योगिक उत्पादन में विकास दर - 8.2% वार्षिक

इस योजना में उपलब्धि लक्ष्य से कम रही वार्षिक विकास दर 5.5% रही। कृषि, उद्योग तथा अधः संरचना के क्षेत्र में प्रगति अच्छी नहीं रही रोजगार सृजन की स्थिति भी नकारात्मक रही। यानि कुल मिलाकर योजना की सफलता लक्ष्य से नीचे रही।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)

दसवी पंचवर्षीय योजना औपचारिक रूप में 1 अप्रैल 2002 को शुरु हुई जो 31 मार्च 2007 अवधि तक चली। दसवी योजना में संवृद्धि का लक्ष्य 8% प्रतिवर्ष रखा गया जबकि उपलब्धि 7.8% प्रतिवर्ष रही।

इस योजना के निम्न उद्देश्य रखे गये -

- 2007 तक गरीबी अनुपात में **5%** तथा 2012 तक **15%** की कमी करना।
- 2003 तक बच्चों के लिए स्कूल का लक्ष्य 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की स्कूल शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
- योजना अवधि में साक्षरता-दर को **75%** तक पहुँचाना।
- योजना अवधि में गाँवों में पानी पहुँचाना।

उपरोक्त उद्देश्यों के साथ शुरू हुई योजना की परिणिति मिली-जुली रही।

कृषि और सिंचाई में **4%** प्रतिवर्ष संवृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया जबकि उपलब्धि मात्र 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। इसी प्रकार उद्योग मे **10%** प्रतिवर्ष संवृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि उपलब्धि 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। 10वीं योजना मे 41110 **M.W.** विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया जो 21080 **M.W.** पैदा की जा सकी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2007-2012)

इस योजना मे आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। इस योजना के तहत कुल 36.44 लाख करोड़ रुपये विभिन्न मदों पर खर्च किये गये। बजट-राशि का 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा कृषि सिंचाई, शिक्षा पर खर्च किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी-निजी भागीदारी पर जोर दिया गया जिससे निजी क्षेत्र की पूँजी उद्यमशीलता और तकनीकी कुशलता का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जा सके। 2011-12 में 10 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसकी प्राप्ति के लिए 2007-12 के दौरान कृषि में 4 प्रतिशत उद्योगों व सेवाओं में 9 से 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में थे।

योजना का कुल आवंटन 3644718 करोड़ रुपये का है। योजना का लक्ष्य समाज के उन वर्गों को उठाकर साथ करना है जो अभी तक आर्थिक प्रगति और बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बाद समाप्त हुई। इस दौरान आर्थिक विकास की दर 7.9 प्रतिशत रही जो कि शुरुआती दौर के लक्ष्य 9 प्रतिशत से कुछ कम है दसवीं पंचवर्षीय योजना के तुलना में इस योजना में कृषि विकास-दर 3 प्रतिशत थी जिसमें काफी वृद्धि दर्ज की गयी थी लेकिन यह योजना भी आर्थिक विकास के फायदों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लक्ष्य में असफल रही बावजूद कि 1990 के बाद से भारत में आर्थिक विकास की दर तेजी से बढ़ी थी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी और निरंतरता के साथ अधिक से अधिक समावेशी विकास अर्थात पिछड़े, कमजोर और ऐसे वर्गों तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाना जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके हैं। इनमें महिलाएँ, दलित, जनजातियाँ और अल्पसंख्यक इत्यादि। इस योजना में वृद्धि-दर का लक्ष्य 8.2 प्रतिशत से घटाकर राष्ट्रीय विकास परिषद ने 8 प्रतिशत कर दिया। गरीबी की दर को 10 प्रतिशत तक लाना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में भी पिछली योजनाओं (11वीं) के मुकाबले विकास-दर को 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए इस योजना में पिछली योजना के मुकाबले आवंटित राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है, यह राशि सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बराबर है किंतु विश्व के अन्य महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है। आधारभूत संरचनाओं जो कि औद्योगिकी और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, का विकास करने के लिए सार्वजनिक निवेश पर जोर दिया जा रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों को इस प्रकार देखा जा सकता है -

- वार्षिक विकास-दर का लक्ष्य 8.0 प्रतिशत
- शिशु मृत्यु-दर 25 तथा मातृत्व मृत्यु-दर को 1 प्रति हजार जीवित शिशु जन्म तक लाना।
- योजना के अंत तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण
- योजना के अंत तक सभी गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।
- आधारिक-संरचना क्षेत्र में व्यय को बढ़ाकर जी.डी.पी. (GDP) के 9% तक लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक लाना।

साथ ही साथ निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ने की कोशिश का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा की आवश्यकता तय की गयी। विकास-दर (8%) को प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में अपर्याप्त है इसलिए ऊर्जा की घरेलू-आपूर्ति में वृद्धि के लिए कोयला, खनन, नए बिजली घरों का निर्माण और आणविक ऊर्जा के विकास पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के बीच कई शक्तियों और कार्यों का बँटवारा है जिसमें केन्द्रिय विधान सर्वोच्च होता है जिसे भारतीय संविधान मान्यता देता है। सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक और सामाजिक योजना के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केन्द्र दोनों को है। इसी प्रकार राज्य और केन्द्र के बीच संबंधों के मामले में संसद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। चूंकि योजना आयोग द्वारा बनायी गयी योजना के दृष्टिपत्र की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन के लिए राजनैतिक नेताओं का होना अधिक महत्वपूर्ण है साथ ही विशेषज्ञ भी उतने ही जरूरी हैं। अतः राज्यों और केन्द्र की शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों की भागीदारी भी अनिवार्य है। इसलिए 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की स्थापना करनी पड़ी जो संवैधानिक निकाय नहीं है मुख्यमंत्री जिसके पदेन सदस्य होते हैं। चूंकि ये संस्था योजना के दृष्टिपत्र को अनुमोदित करती है इसलिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच समायोजन को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के स्थापना के मुख्य उद्देश्य

1. योजना आयोग की सहायता के लिए देश के विभिन्न स्रोतों को सुदृढ़ करना।
2. समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों के अपनाने को प्रोत्साहित करना।
3. देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना।

राष्ट्रीय विकास परिषद् का संगठन

अध्यक्ष - प्रधानमंत्री

सदस्य - राज्यों के मुख्यमंत्री

कैन्द्रीय मंत्री परिषद् के सदस्य

केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक

राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य कार्य

1. राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय-समय पर विचार करना।
2. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करनेवाली आर्थिक सामाजिक नीतियों की समीक्षा करना।
3. राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना।
4. योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी योजना का अध्ययन और विचार-विमर्श कर उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करना।

अर्थव्यवस्था के विकास में पंचवर्षीय योजना का योगदान

आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में देश की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नही किया फलतः देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती गयी।

आजादी के बाद उस समय देश के नेताओं ने गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी मिटाने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेना आवश्यक समझा। इसी संदर्भ में देश में आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया।

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तब से लेकर आजतक ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में संचालित है। योजना अवधि में देश का आर्थिक विकास हुआ है तथा कई आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हुए देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

योजनावधि में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास में योगदान का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है।

हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951-52 से 1955-65 की अवधि की थी तथा विगत 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) समाप्त हो चुकी है। इन साठ वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई स्तर पर प्रगति की है, इस प्रगति का एक बहुत बड़ा भाग योजनाओं के बिना संभव ही नहीं हो सकता था।

हमारा पहला संकेतक है, सकल घेरलू उत्पाद (GDP) जो पहली पंचवर्षीय योजना में **3.7%** थी जो 9वीं योजना में 5.5 प्रतिशत रही पुनः 10वीं योजना काल मे यह 7.8 प्रतिशत तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गयी। देश की अर्थव्यवस्था का पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास 'सकल घरेलू उत्पाद' के तीन घटकों **कृषि, सेवा और विनिर्माण** तथा उद्योग की गति-प्रगति पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू कृषि है जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना से ही विकास का आधार मानते हुए केन्द्र में रखा गया जो उतरोत्तर विकास करते हुए 9वीं योजना में 2.5 प्रतिशत तक बढ़ी। पुनः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3.5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर को 4 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे अत्यधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश में कृषि क्षेत्र में कार्यकुशलता विशेषतः खाद्यान्न उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास की रफ्तार की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन में 51 मिलियन टन था जो 1985-86 में 150 मि०टo हो गया तथा 2010-11 (11वीं योजनाकाल) में यह बढ़कर 24 करोड़ 16 लाख टन के शिखर तक पहुँच गया।

'पंचवर्षीय योजना और अर्थव्यवस्था के विकास' को मात्र आर्थिक विकास के उपरोक्त संकेतों से नही आंका जा सकता बल्कि इसे समानता एवं सामाजिक न्याय की उद्देश्यों की दिशा में अर्थव्यवस्था की प्रगति द्वारा भी देखा जाना चाहिए ताकि 'समावेशी विकास' संभव हो। इन उद्देश्यों के लिए संख्यात्मक संकेत को बता पाना कठिन है तथापित इसमें हुई मिश्रित प्रगति की दरें तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथमतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में हुई वृद्धि से दृष्टिगत होता है 1950 की भारतीय स्वास्थ्य सेवा

की 81 प्रतिशत सुविधाएँ शहरो तक सीमित थी। 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक 27000 लोगों पर औसतन एक चिकित्सक उपलब्ध था। कालान्तर में विभिन्न योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधा पर कई कदम उठाये गए 1991 में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को सीधे लागू कर आम आदमी के जीवन स्तर पर सुधार किये।

11वीं योजना में जनस्वास्थ्य एवं जैव-चिकित्सा अनुसंधान को महत्व दिया गया। 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के नाम पर देश के 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (एम्स) की तर्ज पर छः नए एम्स (पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश) खोलने की योजना रखी गयी। इस योजना में स्पष्ट संकल्प लिया गया कि टैली मेडिसीन, डायबिटीज-नियंत्रण, कोर्डियो वैस्कुलर रोगों के निदान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाये जाएँगे।

वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) स्वास्थ्य को समर्पित की गयी है

अर्थव्यवस्था के विकास में आधारभूत संरचना का विकास महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष बल दिया जाने लगा है। 11वीं योजना के प्रथम वर्ष 2006-07 के सकल घरेलू उत्पाद के 2.6 प्रतिशत की जगह पूँजी-निवेश को बढ़ाकर योजनावधि के अंतिम वर्ष में 2011-12 में इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने की बात कही गयी। बुनियादी सुविधाओं पूँजी निवेश का लक्ष्य 11वीं योजना में 50 अरब डालर रखा गया था जो 12वीं योजनावधि में बढ़ाकर एक खरब डालर किया जाना है।

किंतु वर्तमान समय में गरीबी के प्रत्यक्ष उन्मूलन से संबंधित मूलभूत प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में प्रारंभिक योजना में बहुत कम प्रगति हुई बाद में 1972-73 के वर्ष मे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुमान 51.5 प्रतिशत (41.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्र और 54.1 ग्रामीण क्षेत्र) था। 1984-85 में यह अनुमान क्रमशः 36.9 (27 प्रतिशत शहरी 39.3 प्रतिशत ग्रामीण)। वर्तमान समय में भी गरीबी की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 61 करोड़ है जो देश की आधी जनसंख्या से ज्यादा है जिसमें 42 करोड़ लोग सिर्फ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पं बंगाल में रहते हैं।

देश में सर्वाधिक गरीब राज्य

राज्य	प्रतिशत	
	2009-10	2011-12
बिहार	53.5	33.7
ओडिसा	37.0	32.6
उत्तर प्रदेश	37.7	29.4
मध्य प्रदेश	36.7	31.7
पं. बंगाल	26.7	20.0
राजस्थान	24.8	14.7

भारत में वर्तमान में गरीबी की जो स्थिति है वह सही अर्थों में समावेशी विकास और 9 प्रतिशत की विकासदर प्राप्त करने पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है जिसे पंचवर्षीय योजना में गंभीरता से विचार करना होगा।

अतः हमने देखा कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मोर्चे पर अच्छी प्रगति की है लेकिन समावेशी विकास के अर्थों में हमारा निष्पादन उतना अच्छा नहीं है। वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विकास में चार

महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आ सकती हैं -

- ऊर्जा स्थिति का प्रबंधन
- जल अर्थव्यवस्था का प्रबंधन
- शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का सुधार
- पर्यावरण संरक्षण

प्रत्येक क्षेत्र में गंभीर नीति बनाकर सरकार को तेज विकास हेतु कठोर फैसले लेने होंगे।

विगत पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रवार विकासदर और बारहवीं योजना के लक्ष्य

		9वीं योजना	10वीं योजना	11वीं योजना	12वीं योजना	
					9.0% लक्ष्य	9.5% लक्ष्य
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन	2.5	2.3	3.2*	4.0	4.2
2.	खनन	4.0	6.0	4.7	8.0	8.5
3.	उत्पादन	3.3	9.3	7.7	9.8	11.5
4.	बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	4.8	6.8	6.4	8.5	9.0
5.	निर्माण	7.1	11.8	7.8	10.0	11.0
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	7.5	9.6	7.0		
7.	परिवहन, भंडारण एवं संचार	8.9	13.8	12.5		
6-7	व्यापार, होटल आदि + परिवहन, संचार व भंडारण	8.0	11.2	96.9	11.0	11.2
8.	वित्त, बीमा, भवन निर्माण एवं व्यावसायिक क्षेत्र	8.0	9.9	10.7	10.0	10.5
9.	सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं	7.7	5.3	9.4	8.0	8.0
	सकल जीडीपी	5.5	7.8	8.2	9.0	9.5
	उद्योग	4.3	9.4	7.4	9.6	10.9
	सेवाएँ	7.9	9.3	10.0	10.0	10.0

स्रोत : 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टि-पत्र, योजना आयोग, भारत सरकार

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (बिहार के परिप्रेक्ष्य में)

बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की आम जनता गरीबी, बेकारी तथा आर्थिक असमानताओं से जूझ रही है, जिसके समाधान हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अथक प्रयास किये गये थे और वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास जारी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दी गयी है -

- आर्थिक विकास की दर को 12-13 प्रतिशत तक बढ़ाना ताकि बिहार की प्रतिव्यक्ति आय (P.C.I.) राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय के नजदीक पहुँच सके।

- कृषि में 'इन्द्रधनुषी क्रांति' के द्वारा 7 प्रतिशत की विकास-दर को प्राप्त करना।
- आधार-भूत संरचना और औद्योगिकीकरण पर बल देना
- सामाजिक-क्षेत्र विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास पर जोर देना
- समान क्षेत्रीय विकास का प्रयास करना
- समाज के सबसे निचले स्तर पर रह रहे लोगों की आय में पर्याप्त वृद्धि करना।

बिहार योजना आयोग के अनुसार 11-13 प्रतिशत की आर्थिक विकास-दर को प्राप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले 30 से 45 प्रतिशत अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ेगी जिसको 8.602 लाख करोड़ से लेकर 10.359 लाख करोड़ के बीच आंका गया है।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है ?

1. भारत में नियोजन (योजना) का मूल उद्देश्य है -
   (क) तीव्र आर्थिक विकास (ख) सामाजिक सेवाओं का विस्तार
   (ग) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (घ) न्याय के साथ आर्थिक विकास
2. भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ ?
   (क) 10 दिसम्बर 1951 (ख) 15 मार्च 1950 (ग) 13 अप्रैल 1952 (घ) 16 सितम्बर 1951
3. भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई ?
   (क) अप्रैल 1948 में (ख) अप्रैल 1950 में (ग) अप्रैल 1951 में (घ) अप्रैल 1956 में
4. बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है ?
   (क) विकसित (ख) औद्योगिक (ग) पिछड़ी (घ) शुद्ध पूँजीवादी
5. वर्तमान वर्ष में भारत में कौन-सी पंचवर्षीय योजना संचालित है ?
   (क) पहली पंचवर्षीय योजना (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना
   (ग) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (घ) बारहवी पंचवर्षीय योजना
6. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ?
   (क) वित्तमंत्री (ख) प्रधानमंत्री (ग) गृहमंत्री (घ) रैलमंत्री
7. 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है ?
   (क) 2012-17 (ख) 2002-07 (ग) 1997-2002 (घ) 2010-2015

उत्तर : 1. घ, 2. ख, 3. ग, 4. ग, 5. घ, 6. ख, 7. क

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक-नियोजन से आप क्या समझते हैं ?
2. भारत में पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों को बताएँ।
3. भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। किन्हीं पाँच की अवधि बताएँ।
4. आर्थिक नियोजन के चार तत्वों को बताएँ।
5. राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य कार्यों को बताएँ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. योजना आयोग के गठन और उसके कार्यों का वर्णन करें।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का वर्णन करें।
3. बिहार में बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास हेतु किन-किन बातों पर जोर दिया गया है ? उल्लेख करें।
4. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के प्रमुख लक्ष्यों को बताएँ।
5. पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमिका को बताएँ।

*****